



2026:AHC:45407

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4852/2026

अवध नारायण ओझा

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनुराग राय, ऋषि कांत राय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया।

1. प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् उप-विभागीय अधिकारी/संयुक्त मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला गोरखपुर द्वारा दिनांक 24.09.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.2024 को एक रिकॉल आवेदन प्रस्तुत किया गया।
2. यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उपर्युक्त रिकॉल आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
3. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया।
4. पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से और न्याय के हित में भी, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रत्यर्थी संख्या 2, यानी उप-विभागीय अधिकारी/संयुक्त मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला गोरखपुर को यह निर्देश के साथ किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.2024 को दायर की गई रिकॉल याचिका पर निर्णय संबंधित पक्षों को कोई भी अनावश्यक स्थगन दिए बिना, पूरी तरह से कानून के अनुसार निर्णय लें, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो; जिसकी एक प्रति इस रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया।)

27 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"